Q. शेरशाह के प्रशासन एवं सुधार कार्यों का वर्णन करें?

Ans:- शेरशाह मध्यकालीन भारत के महान सुलतानों में एक था। उसके अधीन राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया स्थापित एवं विकसित हुई वह अकबर के द्वारा अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था ने अकबर के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। वह एक व्यवस्था सुधारक था जिसने किसी नयी शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की बल्कि पुरानी व्यवस्थाओं को ही नवीन रूप प्रदान किया।

① केन्द्रीय प्रशासन

शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का आधार केन्द्रीय प्रशासन था जिसके अन्तर्गत मुख्यत: चार मंत्री विभाग स्थापित किये गये :-

1. दीवाने ए वजारत (राजस्व व अर्थ विभाग)
2. दीवान-ए-आरिज (सैन्य विभाग)
3. दीवान-ए-रसालत (विदेश विभाग)
4. दीवान-ए-इंशा (पत्राचार विभाग)

इसके अतिरिक्त दीवान-ए-काजी और दीवाने-बरीद नामक विभाग भी थे। दीवाने-काजी मुख्य काजी के अधीन था जिसका कर्तव्य न्याय सम्बन्धी शासन की व्यवस्था करना था। दीवाने-बरीद सरकार का गुप्तचर विभाग था।

② प्रांतीय प्रशासन

शेरशाह ने अपने प्रांतीय प्रशासन के अन्तर्गत साम्राज्य को क्रमश: प्रांत सरकार

परगना एवं ग्राम के स्तर पर विभाजित किया। सबसे निचली इकाई ग्राम थी और उससे ऊपर अन्ततः प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों का शासन सुबेदार द्वारा संपन्न किया जाता था। उसके नीचे सरकार का शासन दो प्रमुख अधिकारी शिक-ए-शिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान के द्वारा चलाया जाता था।

(5) ~~सैनिक व्यवस्था~~ शेरशाह के शासन काल में प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभक्त था। परगने के अधीन ग्राम प्रशासन था। हर गाँव में पटवारी मुकद्दमे और चौकीदार भी होते थे।

(6) सैनिक व्यवस्था शेरशाह सैनिक व्यवस्था की महत्ता से परिचित था अतः उसने एक स्थायी सेना का गठन किया साथ ही सेना पर ध्यान दिया और दूसरी ओर सेना विभाग में अनेक उपयोगी सुधार भी किये। सेना के पुनर्गठन और सैनिक सुधारों के क्रम में शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली के मुख्य सिद्धांतों का ही अनुसरण किया। उसने दाग और चेहरा प्रणाली को पुनः प्रचलित कर दिया।

जरीबाना
महासिलाना

④ ~~प्रशासनिक~~ पुलिस व्यवस्था

~~पुलिस व्यवस्था~~ शेरशाह ने बहुत ही कुशल और सफल पुलिस प्रबन्ध किया। लेकिन इसके लिए किसी अन्य विभाग की स्थापना नहीं की। इसे सैनिक विभाग के अधीन ही रखा गया। उसने राज्य में शाँति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की।

⑤ भूराजस्व व्यवस्था

शेरशाह ने भूराजस्व व्यवस्था में भूमि को मापने की प्रथा को पुनः प्रचलित किया। भूमि मापन के बाद ही कर का निर्धारण किया जाता था। जो सामान्यतः उपज पर आधारित होता था। शेरशाह द्वारा 'जरीबाना' (पैमाइश करने वालों की फीस) तथा 'महासिलाना' (कर वसूल करने वाले की फीस) जैसे नये कर स्थापित किये गये।

किन्तु इस भू-राजस्व व्यवस्था के कारण मध्यम और निकृष्ट भूमियों के किसानों को उपज का तिहाई से अधिक भाग देना पड़ता था। लेकिन इनकी भू-राजस्व व्यवस्था प्रचलित लगान व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम था। शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधार इन्हीं गुणों के चलते ही अकबर के लिए अनुकरणीय बन सके थे।

(6) आर्थिक सुधार

शेरशाह द्वारा आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत मुद्रा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार किया गया। उसने मिश्रित धातु से बने सिक्कों को समाप्त करके उनके स्थान पर एक धातु के बने हुए सिक्के जारी किये गये। उसने चाँदी की नयी मुद्रा रुपियां को चलाया। सिक्के ढालने के लिए उसने अपने राज्य में अनेक टकसालों की स्थापना की। शेरशाह द्वारा चलाये गये सिक्के आकार में गोल और वर्गाकार थे तथा केवल तीन धातुओं— सोने, चाँदी व तांबे के बने होते थे।

(7) सार्वजनिक कार्य

शेरशाह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार कार्य सार्वजनिक कार्य है जिसके अन्तर्गत शेरशाह ने एक कुशल नागरिक प्रबंधन के अतिरिक्त सड़क निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने प्रधान सड़कों के किनारे प्रायः 4-4 मील के अंतर पर सरायें बनवा दी जिसमें हिन्दू और मुसलमान यात्रियों के लिए ठंडे पानी और भोजन का अलग - अलग प्रबंध रहता था। शेरशाह के समय की प्रधान सड़के निम्नलिखित थी।

बंगाल में सोनारगाँव

से सिंधु नदी के तट पर स्थित तट तक इसी सड़क पर आगरा दिल्ली तथा लाहौर पड़ते थे।

निष्कर्ष :— शेरशाह के प्रशासनिक कार्यों ने उसे एक कुशल प्रशासक बनाया और उसके सुधार कार्यों ने उसे मुगल कालीन भारत में श्रेष्ठ शासकों की श्रेणी में ला दिया। उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सुधार कार्य इतने महत्वपूर्ण हुए कि अकबर द्वारा उनका अनुसरण किया गया।